न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

नि0-2392-II/15

ललन सिंह तनय श्री हनुमानवली सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी डगडीहा तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0----------------**निगराकार**

बनाम

मुस0सियावती बेवा शिवलोचन सिंह साकिन डगडीहा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0--------------------------------**गैर निगराकार**

निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार
तहसील रघुराजनगर वृत्त हाटी जिला सतना
म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक-3अ5/14-15
मे पारित आदेश दिनांक 25.03.15

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

संक्षिप्त तथ्य

यह कि गैर निगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम डगडीहा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 की आ0नं0-265/2 रकबा 0.255हे0 के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, तत्पश्चात राजस्व निरीक्षक वृत्त हाटी द्वारा मौजा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2392–दो/2015 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–1–17	आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। अनावेदक पूर्व से ही एक्स पार्टी है । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने न्यायालय तहसीलदार, तहसील रघुराजनग वृत्त हाटी, जिला–सतना का प्र0क्र0 3 अ 5/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.03.15 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष ग्राम डगडीहा, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना की आराजी नं0 265/2 रकबा 0.255 है0 के नक्शा तरमीम करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात राजस्व निरीक्षक वृत्त हाटी द्वारा मौजा डगडीहा की आवेदित आराजी का नक्शा तरमीम प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें किसी भी सरहद्दी काश्तकार द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई। आपत्ति पेश न होने से राजस्व निरीक्षक वृत्त हाटी द्वारा प्रस्तुत नक्शा तरमीम प्रस्ताव की पुष्टि अथवा नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रमाणित किया गया। तहसील न्यायालय	

ने विधिवत आदेश पारित किया है। तहसीलदार, रघुराजनगर द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

4/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.15 विधि प्रक्रिया के अनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य